



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 504/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री छोटे लाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री छोटे लाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

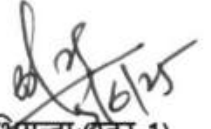
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/भिकियासैण।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 8- श्री छोटे लाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 508/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री अनुराग शर्मा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

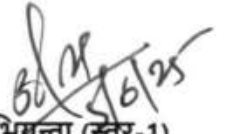
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री अनुराग शर्मा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 8- श्री अनुराग शर्मा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



उत्तराखण्ड राज्य

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 511 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री मुकेश चन्द्र रमोला, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री मुकेश चन्द्र रमोला, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/टिहरी।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- 8- श्री मुकेश चन्द्र रमोला, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 486 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत **श्री सुनिल कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर (सुगम)** में वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यकाल अवधि पूर्ण होने के कारण किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री सुनिल कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

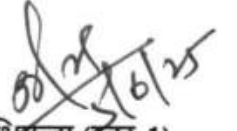

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर।
- 8- श्री सुनिल कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- ५१०/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: ०५ जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (चार) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समज्ञा:-2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण/अल्मोड़ा।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 8- श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- ५१६/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: ०५ जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम)** में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (छ:) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।**

3521: -2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 8- श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 501 / ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री भूपेन्द्र बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-18 (3) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री भूपेन्द्र बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

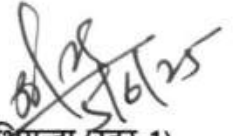

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग/चमोली।
- 5- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/चमोली।
- 8- श्री भूपेन्द्र बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 541 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023 /XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री विकास अंधवाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (दुर्गम)** में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

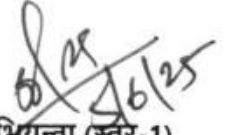
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री विकास अंधवाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/नैनीताल।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 8- श्री विकास अंधवाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 542/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत कु0 प्रियांशी मेहरा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- कु0 प्रियांशी मेहरा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

542:-2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार/अल्मोड़ा।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/नैनीताल।
- 8- कु० प्रियांशी मेहरा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 545 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री ऋषभ शाह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री ऋषभ शाह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/पिथौरागढ़।
- 8- श्री ऋषभ शाह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 506 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री निशान्त सिंह भण्डारी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री निशान्त सिंह भण्डारी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/कोटद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, चमोली/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/पौड़ी।
- 8- श्री निशान्त सिंह भण्डारी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 533/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री अमित कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री अमित कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/बागेश्वर।
- 5- जिलाधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 8- श्री अमित कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 515 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री जोकिन कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री जोकिन कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/चमोली।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/चमोली।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/चमोली।
- 8- श्री जोकिन कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 546/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री कमल प्रकाश पालीवाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री कमल प्रकाश पालीवाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

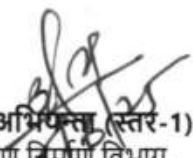
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा/भिकियासैण।
- 5- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/अल्मोड़ा।
- 8- श्री कमल प्रकाश पालीवाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 547 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री सतीश उनियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री सतीश उनियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 8- श्री सतीश उनियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 524/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री महेश चन्द्र पन्त, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम)** में **शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री महेश चन्द्र पन्त, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, बागेश्वर/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर/चम्पावत।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/चम्पावत।
- 8- श्री महेश चन्द्र पन्त, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

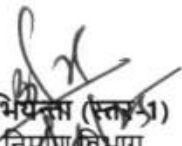
पत्रांक:- 525/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री सचिन कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री सचिन कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 8- श्री सचिन कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 526 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री नन्द किशोर, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम)** में शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री नन्द किशोर, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

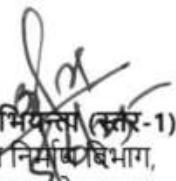
**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/भिकियासैण।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 8- श्री नन्द किशोर, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 527/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

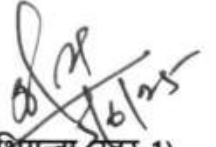
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री संदीप कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम)** में **शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री संदीप कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/चमोली।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- 8- श्री संदीप कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 531 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री राजीव कान्त डबराल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

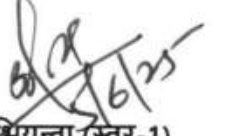
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री राजीव कान्त डबराल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/चमोली।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
- 8- श्री राजीव कान्त डबराल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 534 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री राहुल लखेड़ा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री राहुल लखेड़ा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार/पौड़ी।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/पौड़ी।
- 8- श्री राहुल लखेड़ा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 537/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री जगदीश सिंह नेगी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री जगदीश सिंह नेगी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून/पौड़ी।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 8- श्री जगदीश सिंह नेगी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 538/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री राजेन्द्र कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

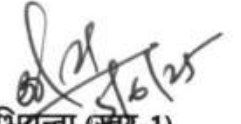
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री राजेन्द्र कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/भिकियासैण।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
- 8- श्री राजेन्द्र कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 513 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

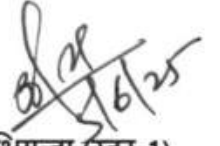
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्रीमती प्रियंका, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्रीमती प्रियंका, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण/टिहरी।
- 5- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/टिहरी।
- 8- श्रीमती प्रियंका, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 514 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

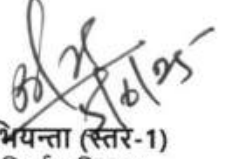
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री अभिषेक रावत, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) में वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यकाल अवधि पूर्ण होने के कारण किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री अभिषेक रावत, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 8- श्री अभिषेक रावत, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 517 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत कु0 पूनम, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- कु0 पूनम, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उद्देश:- 2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा/कोटद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी।
- 8- कु0 पूनम, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 468/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री शुभम सैनी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडिहाट (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (एक) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री शुभम सैनी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडिहाट से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/हरिद्वार।
- 8- श्री शुभम सैनी, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड डीडीहाट।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 474/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री आकाश रावत, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (दो) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री आकाश रावत, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

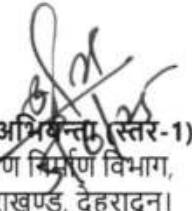
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी।
- 8- श्री आकाश रावत, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- ५४० /ग्रा०नि०वि०/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: ०५ जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

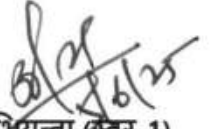
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री राहुल सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-18 (3) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री राहुल सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग।
- 8- श्री राहुल सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 548 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री **अतुल नौटियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम)** से **कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री **अतुल नौटियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- 8- श्री अतुल नौटियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 549/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री बिहारी लाल पैन्थूली, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री बिहारी लाल पैन्थूली, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

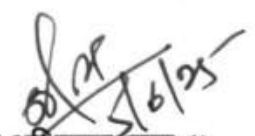
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
- 8- श्री बिहारी लाल पैन्थली, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 550/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री पंकज कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

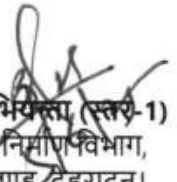
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री पंकज कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3421:-2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण/नैनीताल।
- 5- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- 8- श्री पंकज कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 516 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री दीपक कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

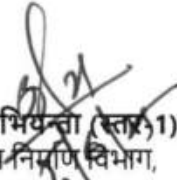
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री दीपक कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर।
- 8- श्री दीपक कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 539 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत कु0 आंचल बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- कु0 आंचल बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमाँऊ मण्डल भीमताल (नैनीताल) से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नैनीताल।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/नैनीताल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/नैनीताल।
- 8- कु0 आंचल बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 536 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री दान सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/130236/XXX(2)/2023/E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री दान सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/बागेश्वर।
- 5- जिलाधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 8- श्री दान सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख् अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

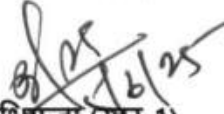
पत्रांक:- 551 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री रविन्द्र कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम) में शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री रविन्द्र कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

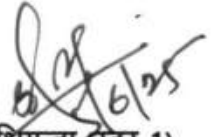

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3721: -2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
- 8- श्री रविन्द्र कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 502 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री अनिल कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा (सुगम) में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून के पत्र संख्या-03/ग्रा0नि0वि0/जांच/2025-26 दिनांक 28 मई, 2025 की संस्तुति के अनुसार किया जाता है।

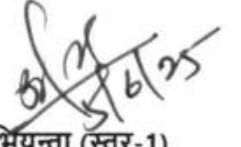
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री अनिल कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/अल्मोड़ा।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
- 8- श्री अनिल कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 507/ग्रा0नि0वि0स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

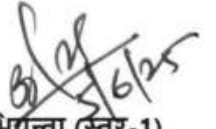
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री संदीप कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) में वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यकाल अवधि पूर्ण होने के कारण किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री संदीप कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत/पौड़ी।
- 5- जिलाधिकारी, चम्पावत/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/पौड़ी।
- 8- श्री संदीप कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 509 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

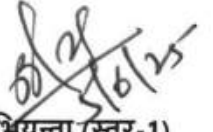
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री महेन्द्र सिंह राणा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) में वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यकाल अवधि पूर्ण होने के कारण किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री महेन्द्र सिंह राणा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/उत्तरकाशी।
- 8- श्री महेन्द्र सिंह राणा, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 510 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

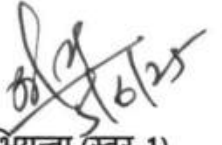
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री पवन कुमार नौटियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-18 (3) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री पवन कुमार नौटियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।
- 5- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।
- 8- श्री पवन कुमार नौटियाल, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 552/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री शानू कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

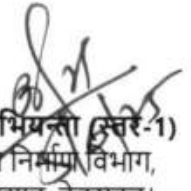
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री शानू कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 8- श्री शानू कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 553 /प्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत **श्री संदीप पंवार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का स्थानान्तरण **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी (दुर्गम)** से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून (सुगम)** में **उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग)** के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार **16 जून, 2025** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- **श्री संदीप पंवार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)** का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि **13 जून, 2025** तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि **16 जून, 2025** होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के **तीन दिन** के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

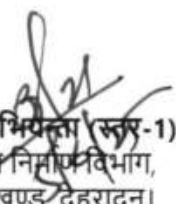
3721/-2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी/देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 8- श्री संदीप पंवार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 554/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री राकेश कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री राकेश कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

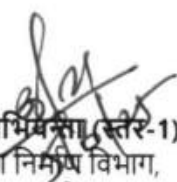
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रति:-2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
- 8- श्री राकेश कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 555 /ग्रा0नि0वि0स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री देवेन्द्र प्रसाद, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री देवेन्द्र प्रसाद, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/बागेश्वर।
- 5- जिलाधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/बागेश्वर।
- 8- श्री देवेन्द्र प्रसाद, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 518 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

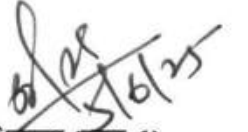
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री लछम सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार (सुगम) में वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यकाल अवधि पूर्ण होने के कारण किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री लछम सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार।
- 5- जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/हरिद्वार।
- 8- श्री लछम सिंह, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड ऊधमसिंहनगर।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख् अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

Phone No. 0135-2976444

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 520/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री पारस पाण्डेय, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण (दुर्गम) में शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार किया जाता है।

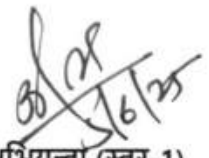
- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री पारस पाण्डेय, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड भिकियासैण से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी/भिकियासैण।
- 5- जिलाधिकारी, टिहरी/अल्मोड़ा।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/अल्मोड़ा।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/अल्मोड़ा।
- 8- श्री पारस पाण्डेय, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

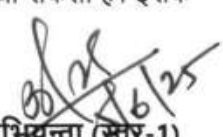
पत्रांक:- 521 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

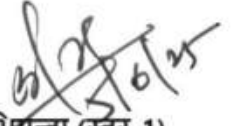
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री अमित कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) में वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यकाल अवधि पूर्ण होने के कारण किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री अमित कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, पौड़ी/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी/चम्पावत।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/चम्पावत।
- 8- श्री अमित कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



e-mail: hod.res.uk@gmail.com

website: www.res.uk.gov.in

Phone No. 0135-2976444

पत्रांक:- 522 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

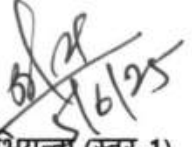
लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के उपरान्त विभाग में कार्यरत श्री अजय प्रकाश, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-18 (3) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री अजय प्रकाश, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 5- जिलाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग।
- 8- श्री अजय प्रकाश, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 528 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री ललित मोहन लोहिया, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (छः) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री ललित मोहन लोहिया, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़ से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चम्पावत से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

528/-2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पिथौरागढ़।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 8- श्री ललित मोहन लोहिया, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पिथौरागढ़।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 530/ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री प्रवेश कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट (दुर्गम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (छ:) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री प्रवेश कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

530/ग्रा0नि0वि0-2

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़/पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडिहाट/पी0एम0जी0एस0वाई0 कर्णप्रयाग।
- 5- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/चमोली।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़/चमोली।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चमोली।
- 8- श्री प्रवेश कुमार, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडिहाट।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



e-mail: hod.res.uk@gmail.com
Phone No. 0135-2976444

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
रायपुर रोड़, तपोवन मार्ग उत्तराखण्ड, देहरादून।**



website: www.res.uk.gov.in

पत्रांक:- 532 /ग्रा0नि0वि0/स्थानान्तरण/2025-26

दिनांक: 05 जून, 2025

“कार्यालय आदेश”

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या-1/120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अन्तर्गत समिति की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत श्री सत्यम सिंह बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून (सुगम) से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी (दुर्गम) में उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ख) (सात) के अनुसार किया जाता है।

- 1- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार 16 जून, 2025 के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- श्री सत्यम सिंह बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का माह जून का वेतन किसी भी दशा में कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से आहरित नहीं किया जायेगा। इनका माह जून का वेतन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौड़ी से ही आहरित किया जायेगा।
- 3- कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Date) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 4- वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगे।
- 5- उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 13 जून, 2025 तथा स्थानान्तरित कर्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16 जून, 2025 होगी।
- 6- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कर्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 7- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- धारा-25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरण/विकास कार्यक्रमों आदि सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।
- 9- दुर्गम/सुगम कार्यस्थल हेतु स्थानान्तरित कर्मिकों को उनके अगले स्थानान्तरण से पूर्व किसी भी दशा में सुगम/दुर्गम कार्यस्थल पर तैनात नहीं किया जायेगा।
- 10- स्थानान्तरित कर्मिकों को गृह तहसील/विकासखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।
- 11- स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर Google Form Link:- <https://forms.gle/gLqHoSwXBG5xMrhm9> के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।**

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल /पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड /पौड़ी।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
- 8- श्री सत्यम सिंह बिष्ट, अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) द्वारा मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- कार्यालय आदेश पत्रबन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।